

**कृषि निदेशालय, बिहार, पटना**  
**सांख्यिकी शाखा**

संचिका संख्या:- मो०-37/17(सांख्यिकी) 2656 कृ०,पटना दिनांक 28 जून, 2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय : वर्ष 2017-18 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 2293 दिनांक 02.06.2017 एवं आवंटन आदेश संख्या 28 दिनांक 27.06.2017

महाषय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017-18 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश की प्रति।

विश्वासभाजन

*(Handwritten Signature)*  
27.6.17

( हिमांशु कुमार राय )  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2656

दिनांक : 28-6-17

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक(परिक्षेत्र) एवं सभी जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
27.6.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2656

दिनांक : 28-6-17

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
27.6.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

## बिहार सरकार, कृषि विभाग।

विषय:- वर्ष 2017-18 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

1. राज्य में खरीफ मौसम में धान एवं मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। चालू खरीफ मौसम में 34 लाख हेक्टेयर में धान, 3.40 लाख हेक्टेयर में धान बिचड़ा तथा 4.75 लाख हेक्टेयर में मक्का आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ मौसम में अनियमित मॉनसून के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में भरपूर उत्पादन के लिए सिंचाई हेतु डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना से संबंधित कार्यक्रम स्वीकृत किया जा रहा है। चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीजस्थली में बिचड़ा को बचाने, बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गए खड़े फसल की सिंचाई करने, जूट, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान का उपयोग किया जा सकता है।
2. एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 30 रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 300 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। एक किसान को धान बीचड़ा बचाने एवं जूट हेतु 2 सिंचाई के लिए 600 रु० प्रति एकड़ तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों हेतु एक ही खेत के 3 सिंचाई हेतु 900 रूपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।
3. रबी फसल से भरपूर उत्पादन के लिए रबी 2017-18 में गेहूँ की 3 सिंचाई के लिए 900 रु० एवं अन्य रबी फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की दो सिंचाई के लिए 600 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से डीजल अनुदान अनुमान्य है।
4. यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। नवार्ड फेज 8 में निर्मित राजकीय नलकूप जो किसानों/किसान समितियों के द्वारा परिचालित किए जाते हैं उनके द्वारा भी डीजल क्रय कर सिंचाई करने पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।
5. खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए 30 अक्टूबर, 2017 तक डीजल क्रय करने पर यह अनुदान देय होगा। 15 नवम्बर, 2017 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सत्यापित दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 30 नवम्बर, 2017 तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
6. रबी फसलों की सिंचाई के लिए 1 नवम्बर, 2017 से 07 मार्च 2018 तक क्रय किये गये डीजल के विरुद्ध अनुदान अनुमान्य है। 15 मार्च, 2018 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 31 मार्च, 2018 तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

7. डीजल अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

- वर्षापात की स्थिति एवं सिंचाई हेतु डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात जिला पदाधिकारी डीजल अनुदान वितरण कराने का निर्णय ले सकेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत विशेष के लिए आवेदन प्राप्त करने/सिंचाई के सत्यापन करने हेतु पंचायत सेवक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा।
- डीजल अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर भी काउन्टर खोला जाय तथा इसपर एक जिम्मेवार कर्मी को आवेदन प्राप्त करने एवं रजिस्टर में संधारित करने की जिम्मेवारी दी जाय। प्रखंड मुख्यालय में प्राप्त आवेदन की जाँच हेतु सम्बन्धित पंचायत को निश्चित समय सीमा में हस्तगत करा दी जाय।
- पंचायत सेवक/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार अपने स्तर पर प्राप्त आवेदन का सत्यापन खेत में जाकर करेंगे। सत्यापन का कार्य सिंचाई के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा। कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार सत्यापित आवेदन पर डीजल अनुदान के लिए अनुशंसित दर्ज करेंगे तथा सिंचाई की गई रकबा एवं कैशमेमो के अनुसार अनुशंसित राशि दर्ज करेंगे। कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार अपने स्तर पर एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें आवेदन को तिथि के अनुसार दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर में आवेदन की प्रगति भी अंकित की जायेगी।
- कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा माह के 15 तारीख से पूर्व प्राप्त आवेदनों को सत्यापित करके आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची माह के 20 तारीख को निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। 15 तारीख एवं 30 तारीख के बीच प्राप्त आवेदन के संदर्भ में अगले माह की 5वीं तारीख को सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। इस प्रकार कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा प्रत्येक माह में दो बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को समेकित सूची भेजी जायेगी। कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार अपने कार्य क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन (स्वीकृत एवं अस्वीकृत) को उक्त समेकित सूची के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देंगे।
- डीजल अनुदान के लिए कृषि विभाग के द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की सीमा में राशि उपावंटित की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति की देख-रेख में डीजल अनुदान का वितरण किया जायेगा। वितरण निकासी के एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में डी० बी० टी० (DBT) के माध्यम से किया जायेगा।
- डीजल अनुदान नगद भुगतान वर्जित होगा। डीजल अनुदान अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

I.	मुखिया	-	अध्यक्ष
II.	सरपंच	-	सदस्य
III.	पंचायत वार्ड के सदस्यगण	-	सदस्य
IV.	विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	-	सदस्य
V.	विगत चुनाव में सरपंच पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	-	सदस्य
VI.	पंचायत समिति के संबंधित सदस्य	-	सदस्य
VII.	संबंधित नामित कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार	-	सदस्य सचिव।

